न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 01/2024 बउनवानी शंकर लाल पेशवानी बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा
निवासी बी–9 केशव नगर नीलकठ महादेव के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/1

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.2.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.09.2023 को लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जिला सवाईमाधोपुर राजस्व विभाग में दिनांक 1.4.2021 से 2021–2022, 2022–2023 में स्वीकृत कार्यालय एवं रिक्त संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का विवरण की स्वीकृति आदेश की सूचना
2. वर्ष 2021–2022 एवं 2022–2023 मे जिलें मे (राजस्व विभाग में) की गयी डीपीसी यथा संस्थापन अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के आदेश एवं आर्डर सीट की सत्यप्रतिलिपि दोनो वर्ष की सूचना देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार ने लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/एफ.13(1)(77)/सूकाअ/2023/51 दिनांक 16.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग के पत्रांक 7904 दिनांक 11.12.2023 एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक/एफ.13(1)(77)/सूकाअ/2023/2967 दिनांक 12.12.2023 से कुल 9 पृष्ठो की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग के पत्रांक 7904 दिनांक 11.12.2023 से एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2967 दिनांक 12.12.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को दो बार उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner